1 आपराधिक प्रकरण कमांक 50 / 2017

न्यायालय– प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांक : 50 / 2017 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 06.02.2017 🏑

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र– गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

अभियोजन

बनाम

ELIMINA PATOLO 1–कलियानसिंह जाटव पुत्र तेजपाल जाटव उम्र 64 वर्ष 2-गंगासिंह पुत्र कलियानसिंह जाटव उम्र 30 वर्ष 3-श्रीवतीदेवी पत्नी कलियानसिंह जाटव उम्र 61 वर्ष निवासीगण ग्राम अगनूपुरा थाना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

(अपराध अंतर्गत धारा-498ए भा0दं०सं० एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेघ अधिनियम) (राज्य द्वारा एडीपीओ-श्रीमती हेमलता आर्य) (आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता-श्री के०पी०राठौर)

(आज दिनांक 10 / 11 / 2017 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 02.09.16 एवं उसके पूर्व ग्राम अगनूपुरा गोहद में फरियादी सुमनदेवी के पति / नातेदार होकर फरियादी सुमनदेवी से दहेज में चालीस हजार रूपये एवं मोटरसाइकिल की मांग करने तथा मांग की पूर्ति न होने पर फरियादिया सुमनदेवी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ कूरता कारित करने तथा फरियादिया सुमनदेवी से दहेज में चालीस हजार रूपये एवं मोटरसाइकिल की मांग करने तथा फरियादिया स्मनदेवी को दहेज देने के लिए दुष्प्रेरित करने हेत् भा०द0सं० की धारा 498ए एवं दहेज प्रतिषेध

अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के अंतर्गत आरोप है

- संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादिया सुमनदेवी की शादी वर्ष 2010 में ग्राम अगनूपुरा में हुई थी। शादी के बाद कुछ समय तक वह ठीक ठाक रही थी इसके पश्चात उससे आये दिन दहेज की मांग की जाने लगी थी। उसके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार शादी में एक लाख रूपये नगद एवं घर गृहस्थी का सामान दिया था किन्तु उसके ससुर, सास एवं पति आये दिन उसे प्रताडित करते थे तथा उसे अपने मायके से चालीस हजार रूपये एवं मोटरसाइकिल लाने के लिए कहते थे एवं इसी बात पर सास देवी, ससूर कलियानसिंह एवं पति गंगासिंह द्वारा उसे प्रताड़ित कर उसकी मारपीट की जाती थी। दिनांक 02.09.16 को उसके पति गंगासिंह, सस्र कलियानसिंह, सास श्रीवतीदेवी ने उससे दहेज की मांग करते हुए लात घूंसों से उसकी मारपीट की थी एवं उसे घर से निकाल दिया था तथा उससे कहा था कि मोटरसाइकिल एवं चालीस हजार रूपये लेकर आना अन्यथा घर मत आना। आरोपीगण ने उसकी पुत्री संध्या को उससे छुड़ाकर अपने पास रख लिया था एवं उसे उसके 11 माह के पुत्र राजकुमार के साथ पहने हुए कपड़ों में मारपीट कर घर से निकाल दिया था फिर वह रोती हुई गोहद चौराहे पर आयी थी एवं उसने सारी घटना अपने माता पिता एवं भाइयों को बतायी थी। फरियादिया सुमनदेवी द्वारा घटना के संबंध में थाना प्रभारी गोहद को लेखीय आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन के आधार पर पुलिस थाना गोहद में अप०क० 244/16 पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामीका बनाया गया था व साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे आरोपीगण को गिरफतार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
- 3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकृत किया गया।
- 4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वे निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

इस न्यायालय के समक्ष निम्निलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :—

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 02.09016 एवं उसके पूर्व ग्राम अगनूपुरा गोहद में फरियादिया सुमनदेवी के पित नातेदार होकर फरियदिया सुमनदेवी से दहेज में चालीस हजार रूपये एवं मोटरसाइकिल की मांग की एवं मांग की पूर्ति न होने पर फरियादिया सुमनदेवी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ कूरता कारित की ?
- 2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिय ासुमनदेवी से दहेज में चालीस हजार रूपये एवं मोटरसाइकिल की मांग की तथा सुमनदेवी को दहेज देने के

लिए दुष्प्रेरित किया ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादिया सुमन अ0सा01, विद्याराम अ0सा02, एवं नरेश अ0सा03, को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

3

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

- 7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादिया श्रीमती सुमन अ०सा०1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि आरोपी गंगासिंह उसका पति, कल्यान उसके सस्र एवं श्रीवतीदेवी उसकी सास है। उसकी शादी उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 8-9 साल पहले हुई थी। उसकी सास उसे खाने पीने के लिए परेशान करती थी तथा उससे कहती थी कि तुम अपने खाने पीने के लिए अलग से लाओ वह कहती थी कि उसका पति उसे ब्याह कर लाया है तो पति उसे खिलायेगा। उसकी सास उससे रोज झगडा करती थी उसने यह बात अपने मां बाप को नहीं बतायी थी क्योंकि उसे कोर्ट कचहरी अच्छा नहीं लगता था फिर उसने गुरसे में आकर एक आवेदन लिखाया था। आवेदन में क्या लिखा था उसे नहीं पता। आवेदन प्र0पी–1 है जिसके ए से ए भाग पर उसका निशानी अंगूठा है। रिपोर्ट प्र0पी–2 है एवं नक्शामौका प्र0पी–3 है जिस पर उसका निशानी अंगूठा है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पृछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही आरोपीगण उससे मोटरसाइकिल एवं चालीस हजार रूपये दहेज की मांग करने लगे थे एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि इसी बात को लेकर आरोपीगण ने उसकी मारपीट की थी एवं उसे घर से निकाल दिया था। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने वाली बात अपने आवेदन प्र0पी-1 एवं रिपोर्ट प्र0पी-2 में पुलिस को लिखाई थी। प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसकी सास के द्वारा उसे कभी भी दहेज के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडित नहीं किया गया था वह उसे मां की तरह ही डांटती थी। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्र0पी-1 का आवेदन उसने नहीं लिखाया था किसने लिखा था उसे याद नहीं है 🔨
- 9. साक्षी विद्याराम अ०सा०२ एवं नरेश अ०सा०३ ने भी अपने कथन में यह बताया है कि फरियादी अपनी ससुराल में अच्छी तरह से रहती थी। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षीगण ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपीगण फरियादिया से मोटरसाइकिल एवं चालीस हजार रूपये दहेज में

लाने के लिए कहते थे तथा ना लाने पर सुमन की मारपीट करते थे।

- 10. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है।
- 11. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी सुमन अ०सा०1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसकी सास उससे अलग खाने—पीने के लिए विवाद करती थी एवं उक्त कारण से ही उसने गुस्से में आकर प्र0पी—1 का आवेदन दिया था प्र0पी—1 के आवेदन में क्या लिखा है उसे जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि उसकी सास ने उससे कभी भी दहेज की मांग नहीं की थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपीगण उससे चालीस हजार रूपये एवं मोटरसाइकिल दहेज में लाने के लिए कहते थे तथा ना लाने पर उसकी मारपीट कर उसे प्रताडित करते थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसने आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने वाली बात अपने आवेदन प्र0पी—1 एवं रिपोर्ट प्र0पी—2 में लिखाई थी।
- 12. इस प्रकार फरियादी सुमन अ०सा०1 द्वारा न्याायलय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण द्वारा दहेज की मांग करने तथा दहेज के लिए प्रताड़ित करने के तथ्य से इंकार किया गया है। साक्षी विद्याराम अ०सा०2 एवं नरेश अ०सा०3 ने भी आरोपीगण द्वारा सुमन से दहेज मांगने से इंकार किया है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपीगण ने फरियादी सुमन से मोटरसाइकिल एवं चालीस हजार रूपये दहेज की मांग की थी एवं मांग की पूर्ति न होने पर फरियादी सुमन को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ कूरता कारित की थी तथा सुमन को दहेज देने के लिए दुष्प्रेरित किया था। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 13. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपीगण की दोषमुक्ति उचित है।
- 14. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 02.09.16 एवं उसके पूर्व ग्राम अगनूपुरा गोहद में फरियादी सुमनदेवी के पित / नातेदार होकर फरियादिया सुमनदेवी से दहेज में चालीस हजार रूपये एवं मोटरसाइकिल की मांग की तथा मांग की पूर्ति न होने पर फरियादिया सुमनदेवी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर

उसके साथ कूरता कारित की तथा फरियादिया सुमनदेवी से दहेज में चालीस हजार रूपये एवं मोटरसाइकिल की मांग की एवं फरियादिया सुमनदेवी को दहेज देने के लिए दुष्प्रेरित किया। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी कल्यानसिंह, गंगासिंह एवं श्रीमतीदेवी को भा0द0स0 की धारा 498ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 एवं 4 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

15. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

16. प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद दिनांक –10–11–2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / —
थी) (प्रतिष्ठा अवस्थी)
थम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इ(म०प्र०) गोहद जिला मिण्ड(म०प्र०)